

54

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

का0आ0/सै0क0नि0/11/03/2014/435/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

कार्यालय आदेश संख्या / 6 / 2017

दिनांक 17.01.2017 को हुई राजकीय प्रबंध समिति की 20वीं बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 2.2 में निहित निर्णय के आलोक में भूतपूर्व विकलांग सैनिकों तथा मृत सैनिक के पत्नी को वैवाहिक अनुदान की दर में बढ़ोतरी की गई है जिसमें मृत सैनिकों की विधवाओं/विकलांग सैनिकों जिनकी विकलांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा वे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें पेंशन नहीं मिलता है, को पुत्री के विवाह के लिए वैवाहिक अनुदान की राशि 15,000/-रु0 को बढ़ाकर 1,00,000/-रु0 किया गया है। साथ ही एक पुत्री की बाध्यता को समाप्त करते हुए दो पुत्रियों को वैवाहिक अनुदान देय होगा।

2. यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा 17.01.2017 से प्रभावी होगा तथा यह व्यय विशेष कोष (सैनिक कल्याण फंड) से किया जायेगा। स्वीकृति हेतु निदेशालय के पत्रांक 164 दिनांक, 17.3.2008 में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगे।

3-1-
(देव नारायण मंडल)
निदेशक

ज्ञापक : सै0 क0 नि0/11/03/2014/...../पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017
प्रतिलिपि, महानिदेशक के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह-1
निदेशक

ज्ञापक : सै0 क0 नि0/11/03/2014/435/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017
प्रतिलिपि, सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखापाल/प्रभारी सहायक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय :-

पत्नी नं० :-

पत्रांक :-

पुत्री का नाम :-

शादी की तिथि :-

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

दिनांक :-

वैवाहिक अनुदान से संबंधित

चेक लिस्ट

क्र०	विषय	अभ्युक्ति	पृष्ठ संख्या
1	चेक लिस्ट संलग्न है और हस्ताक्षरित है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
2	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	हाँ/ना	पृ० / प०
3	स्व० सैनिक के डिस्चार्ज बुक/सेवा विवरणी की छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
4	यदि भू० पू० सैनिक की मृत्यु सेवा विमुक्ति के बाद हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
5	पारिवारिक विवरणी की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
6	आवेदन जि० सै० क० पदाधिकारी द्वारा अनुशंसति एवं प्र० वि० पदा० द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
7	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
8	विवाह से संबंधित निमंत्रण पत्र की प्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
9	वर का उम्र 21 वर्ष एवं वधु की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए :- (क) शादी की तिथि को -(i) लड़की का उम्र (ii) लड़का का उम्र	हाँ/ना	पृ० / प०
10	विवाह निबंधन प्रमाण पत्र बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 के प्रपत्र-ग पर है एवं विवाह निबंधन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति जिसमें वर-वधु की संयुक्त फोटोग्राफ संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
11	(क) निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 6/2017 सह पठित ज्ञापांक 435 दिनांक 07.04.2017 के अनुसार दो पुत्री को वैवाहिक अनुदान अनुमान्य है। इस संबंध में संधारित पंजी से जाँच किया जाय कि इससे पूर्व में अभी तक वैवाहिक अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है। (ख) यदि दो से अधिक पुत्री हो तो-आवेदिका अथवा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर से स्पष्ट किया जाय कि इससे पहले इस अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है से संबंधित प्रमाण पत्र अलग से संलग्न किया जाय।	हाँ/ना	पृ० / प०
12	मृतपूर्य विकलांग सैनिक के मामले में विकलांगता की सीमा 50 प्रतिशत या अधिक हो तथा सेन्य सेवा से पेंशन प्रदायी नहीं है।	हाँ/ना	पृ० / प०
13	पासबुक का पहला पेज जिसमें IFSC Code हो संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
14	आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०
15	अनुलग्नक अभिप्रमाणित है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० / प०

**अपंग सैनिकों एवं/मृत सैनिकों की विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए
आर्थिक सहायता हेतु आवेदन-पत्र**

खण्ड - 'क'

(आवेदक/आवेदिका द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
2. विधवा के पति/आवेदक का न0.....रैंक.....नाम.....
3. (क) स्थायी पता (डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट के आधार पर)
ग्राम.....पोस्ट.....जिला.....
पत्राचार का पता :-
ग्राम.....पोस्ट.....जिला.....
4. सेना में भर्ती की तिथि :..... 5. सेना से निवृत्ति की तिथि :.....
6. सेना से निवृत्ति का कारण :
7. सैनिक की मृत्यु की तिथि (केवल विधवा के लिए).....
8. आवेदक पेंशनभोगी है या नहीं(केवल भूतपूर्व सैनिकों के मामले में)
9. अपंगता की तिथि.....अपंगता का कारण.....अपंगता का प्रतिशत.....
.....क्या अपंगता एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है.....(केवल अपंग सैनिकों के मामले में)
अपंगता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता छायाप्रति संलग्न करें।
10. पुत्री का नाम.....जन्म तिथि.....
जिसकी शादी (लड़के का नाम).....जन्म तिथि.....
पिता का नाम.....ग्राम.....पोस्ट.....
जिला.....के साथ दिनांक.....को सम्पन्न हो चुकी है।
(आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में शादी की तिथि से तीन माह बाद तक की अवधि के अन्तर्गत प्राप्त होने पर ही अनुदान देय है। (किसी भी परिस्थिति में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अन्यथा आर्थिक सहायता देय नहीं होगी)
11. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह आवेदन पत्र मेरी पहली/दूसरी पुत्री के लिए है।
12. (क) बैंक खाता संख्या :.....
(ख) IFSC Code :.....
(ग) बैंक के शाखा का नाम :.....
13. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। यदि भविष्य में उपरोक्त वर्णित सूचना में विसंगति पाई गई तो मैं प्राप्त होने वाली राशि एकमुश्त वापस कर दूंगा/दूंगी।

तिथि :

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर
पहचान पत्र संख्या.....
दूरभाष/मोबाईल संख्या.....

आवश्यक दस्तावेज :

- (i) हस्ताक्षरित चेक लिस्ट (निर्धारित प्रपत्र में)।
- (ii) स्व0 सैनिक की डिस्चार्ज बुक/सेवा विवरणी की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (iii) यदि भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु सेवा विमुक्ति के बाद हुई हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (iv) पारिवारिक विवरणी की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (v) जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (vi) वर-वधु की आयु से संबंधित अभिलेख की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (vii) विवाह निबंधन प्रमाण पत्र जिसमें वर-वधु की संयुक्त फोटोग्राफ हो की अभिप्रमाणित प्रति।
- (viii) पासबुक का पहला पेज जिसमें खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, पता तथा IFSC Code अंकित हो की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (ix) आवेदक/आवेदिका का आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

खण्ड - "ख"

(प्रखंड विकास कार्यालय/अंचल कार्यालय में भरा जायेगा)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि खण्ड - "क" में आवेदक/आवेदिका द्वारा लिखित विवरणी सही है। उनकी पुत्री _____ जन्म तिथि _____ का पुनर्विवाह _____ (लड़का का नाम), ग्राम _____ पोस्ट _____ जिला _____ के साथ दिनांक _____ को सम्पन्न हुई है। इनके पुनर्विवाह का रजिस्ट्रेशन/निबंधन संख्या _____ दिनांक _____ है।

तिथि _____ (प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर)

खण्ड - "ग"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

विधवा पुनर्विवाह से संबंधित आवेदन आज दिनांक _____ को कार्यालय में प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों की जाँच की गई तथा इसे सही पाया गया।

आवेदक/आवेदिका के पुत्री _____ जिनकी जन्म तिथि _____ है, का पुनर्विवाह दिनांक _____ को सम्पन्न हुआ है। अतः 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र आर्थिक सहायता हेतु अनुशंसा की जाती है। शहीद/स्व0 सैनिक का नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक _____ में दर्ज है।

तिथि : _____ (कल्याण व्यवस्थापक/प्रभारी कल्याण व्यवस्थापक के नाम एवं हस्ताक्षर)

मैं कल्याण व्यवस्थापक/प्रभारी कल्याण व्यवस्थापक श्री _____ के उक्त प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक/आवेदिका _____ को 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र उनकी पुत्री के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु अनुशंसा करता हूँ।

तिथि : _____ (जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

पत्र संख्या : सै०क०नि०/३९/०१/२००८/१०५७

बिहार सरकार
सैनिक कल्याण निदेशालय
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-२, द्वितीय तल, पटना-८०००१५

प्रेषक,

कर्नल दिलीप प्रसाद, एस. एम.
निदेशक

सेवा में,

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,
पटना, भोजपुर (आरा), छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, गया,
बक्सर, रोहतास (सासाराम), सिवान एवं हाजीपुर (वैशाली)।

पटना-१५, दिनांक ४ अक्टूबर २०१८

विषय : बिहार विवाह निबंधन नियमावली २००६ के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विवाह निबंधन नियमावली २००६ की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। अनुरोध है कि विवाह निबंधन प्रमाण पत्र बिहार विवाह निबंधन नियमावली २००६ के प्रपत्र 'ग' पर होना चाहिए। साथ ही सुनिश्चित करें कि उक्त प्रपत्र पर वर-वधु का संयुक्त फोटो चिपका है। उक्त नियम सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा मिलने वाला वैवाहिक अनुदान/पुनर्विवाह अनुदान तथा आर०एम०डी०एफ० के तहत मिलने वाला वैवाहिक अनुदान के लिए भी लागू होगा।

२. कृपया पावती भेजें।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Amel.
०५-१०-१८.
(कर्नल दिलीप प्रसाद)
निदेशक
०५.१०.१८